


Manual for LSG Mobile app in integration with MPmobile Application

Screen 1 :- Main Screen of MP mobile Application with icon of LSG Services.



Screen 2 :- Second Screen of LSG mobile application.



Screen 3:- Following features are provided in MpEdistrict section

1. Search existing application of the service applied
2. Several government schemes and their detailed information
3. Available services which can be availed using this application.
4. We can download the receipt of the service using registration number.



Screen 4 :- Search Application

We can search the application of the services using aadhar, mobile or registration number of the service

11:52 AM

< आवेदन खोजें

रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज करे

RS / 444 / 0110 / 258 / 2018

या

आवेदक का आधार क्रमांक

या

आवेदक का मोबाइल नं.

आवेदन खोजें

MPOnline Limited

1 2 3 -



4 5 6 _


7 8 9 ×

, 0 . →

Screen 5 :- Status of the application

We can view the current status of the services availed using Isk and can download the receipt

11:20 AM   VoLTE

<  आवेदन विवरण

रजिस्ट्रेशन क्रमांक
RS/419/01111/37673/2018

रजिस्ट्रेशन की तारीख
12/Sep/2018 10:52:41 AM

रजिस्ट्रेशन समापन की तारीख
12/Sep/2018 04:24:52 PM

स्थिति
Disposed

आवेदक का नाम
Bharat Singh Atal

आवेदक का पता
419 BUS STEND CHAURAHA RAMPUR KALAN
RAMPUR KALAN,Rampur Kalan,Sabalgarh,मुरैना


सेवा का नाम
6.2 क़ानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र प्रदाय करना

Target Date
17/Sep/2018

[Download](#)

Screen 5 :- Available Services


We can view all the available EKYC services using sliding list differentiated with all the departments



Screen 6 :- Service Details

We can view all the details of service such as necessary documents, timeline, first officer, second officer.

11:21 AM ... 4G VoL LFE

[<](#)  **स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र**

अधिसूचित सेवा
स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

आवेदन के साथ सलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
स्वयं का घोषणा पत्र ।


सेवाएँ प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा
शहरी क्षेत्र के लिए - 7 कार्य दिवस
ग्रामीण क्षेत्र के लिए - 7 कार्य दिवस

प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम एवं पता
अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व


प्रथम अपील के निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा
15 कार्य दिवस

द्वितीय अपिली प्राधिकारी का पद नाम एवं पता
कलेक्टर

[Preview Form](#) [Apply](#)



MPOnline Limited
MP Online Limited is a registered company of Ministry of Panchayati Raj, Government of India.



Screen 7 :- Service Preview Form

We can view a form template of the service to be applied so that user can be sure that what kind of information is needed before applying.

11:21 AM 4G VoLTE

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

अधिसूचित सेवा
स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र
महोदय/महोदया,

आवेदनकर्ता मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है। मेरे द्वारा संपादित स्वयं शपथ पत्र संलग्न है। यह निवेदन है कि मुझे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें -

सेवाएँ प्रदाय करने वाले अधिकारी का नाम
शहरी/ग्रामीण
प्रथम अनुविभागीय अधिकारी
प्रथम अनुविभागीय अधिकारी
15 कलेक्टर
द्वितीय कलेक्टर

=== हितग्राही का आधार नम्बर ===

1. नाम

2. पिता/पति का नाम

3. जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)

4. निवास का पूरा पता

(अ) मकान नं.

(ब) मोहल्ला

(इ) जिला

(द) तहसील

(स) ग्राम/शहर का नाम


Close

MPOonline Limited

Screen 8:- Ekyc Authentication Screen

Before applying for the service, ekyc authentication has to be done using otp generated on registered mobile number.

12:24 PM

<  आधार लॉगिन

453812209808

ओटीपी नंबर दर्ज करें

Submit Resend OTP

MPOonline Limited

1 2 3 -

4 5 6 _

7 8 9 ✕

, 0 . ✓

Screen 9:- Service MetaData Form

Metadata (Static) Form for service to be applied after Ekyc Authentication using Aadhar number.

11:22 AM 4G VoLTE

  आवेदन प्रपत्र

नाम *	<input type="text" value="Arun Joshi"/>
पिता/पति का नाम *	<input type="text" value=": Mahesh Joshi"/>
यूआईडी नंबर	<input type="text" value="453812209808"/>
पता *	<input type="text" value="201 reve, annapurna road, 201 revenue nagar"/>
मोबाइल	+91 <input type="text"/>
ईमेल	<input type="text"/>
लिंग *	<input type="button" value="कृपया Gender चुनें"/>
वर्ग *	<input type="button" value="कृपया caste चुनें"/>
जिला	<input type="button" value="कृपया जिला चुनें"/>
तहसील	<input type="button" value=""/>
क्षेत्र *	<input type="radio"/> ग्रामीण <input type="radio"/> शहरी
गांव/शहर	<input type="button" value=""/>
वार्ड चुनें	<input type="button" value=""/>

Screen 10:- Service Generic Form

Generic form for the service along with document uploads features. This will be different for every service depends on their specification. Service availed after filling form and doing payment

11:23 AM ... 4G

< आवेदन प्रपत्र

महोदय/महोदया,

मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है। मेरे द्वारा संपादित शपथ पत्र संलग्न है। यह निवेदन है कि मुझे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रदाय करने का कह करे -

=== हितग्राही का आधार नम्बर ===

453812209808

1. नाम**
Arun Joshi

2. पिता/पति का नाम**
: Mahesh Joshi

3. जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)**

4. निवास का पूरा पता
(अ) मकान नं.**
(ब) मोहल्ला **
(इ) जिला
कृपया जिला चुनें
(द) तहसील
(स) ग्राम/शहर का नाम

5. पत्नी का विवरण
(अ) नाम
(ब) आयु (वर्ष में)

6. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्रियों का विवरण
सदस्य जोड़ें

7. स्थानीय निवासी की पात्रता के किस मापदण्ड को पूरा करते हैं
कृपया निम्न विकल्प में से चुनें

8. आवेदक का प्रकार
यह सेवा सभी वर्गों के लिए निशुल्क है

9. आवेदक का छायाचित्र
चित्र जोड़ें

मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य दर्जित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्धदण्ड से दण्डनीय है।

स्वयं का घोषणा पत्र।**

Submit

Screen 11:- Schemes Information

Schemes information is distributed according their section with each section showing government scheme details according to department.



Screen 12:- Schemes Listing

Schemes list separated according to the departments for which the scheme is associated

12:22 PM	
महिला एवं बच्चे सम्बंधित योजनाएँ	
आदिम जाति कल्याण विभाग	
सौभाग्यवती योजना	>
महिला एवं बाल विकास विभाग	
लाइली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना	>
राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (म.प्र. के 15 जिलों में संचालि)	>
मंगल दिवस	>
पूरक पोषण आहार	>
किशोरी शक्ति योजना	>
एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	>
उषा किरण योजना	>
इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना मध्य प्रदेश के सागर छिन्दवाडा जिला	>
आई.सी.डी.एस.-(समेकित बाल विकास योजना)	>
समेकित बाल संरक्षण योजना	>
मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना	>
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	
जननी सुरक्षा योजना	>
जननी सहयोगी योजना	>
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	>
जननी एक्सप्रेस योजना	>
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	
जननी एक्सप्रेस योजना	>
सामाजिक न्याय विभाग	
मुख्यमंत्री कन्यादान/ निकाह योजना	>

Screen 13:- Schemes Details

Schemes details when click on any scheme from the list in previous screen.

12:21 PM

<  लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत

विभाग-
महिला एवं बाल विकास विभाग

योजना-
लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना

विवरण-
योजनाअंतर्गत बालिका का ऑन लाइन पंजीयन करते 1,18,000/- का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिसके अंतर्गत बालिका को कक्षा 6वीं में प्रवेश पर 2000/- कक्षा 9वीं में प्रवेश पर 4000/- कक्षा 11वीं में प्रवेश पर 6000/- एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश पर 6000/- की छात्रवृत्ति दी जायेगी समय-समय से लगातार पाँच वर्ष तक रु. 6000/- लाडली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जायेगा अब एन.एस.सी. के स्थान पर बालिकाओं को 1,18,000/- का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

योजना का कार्य क्षेत्र-
Financial Assistance,Other

आवेदन प्रक्रिया-
आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय / लोकसेवा केंद्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन / रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। (प्रकरण की स्वीकृति हेतु समस्त दस्तावेजों का परिक्षण परियोजना कार्यालय से कराया जाना होगा) तत्पश्चात प्रकरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकेगा। आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज - 1. जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति। 2. मूलनिवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति। 3. प्रकरण में पात्रता की शर्त के अनुसार बालिका के माता अथवा पिता द्वारा परिवार नियोजन अपनाए जाने संबंधी प्रमाण पत्र। 4. माता-पिता के साथ बालिका का वर्तमान का फोटो। सेवा के तहत लाभ संलग्न करने वाले / सहायता पहुँचाने वाले सक्षम अधिकारी का पदनाम - खण्ड स्तरीय महिला सशक्तिकरण अधिकारी / परियोजना अधिअक्षरी / जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी। कार्यालय के नाम - कार्यालय एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना / कार्यालय जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी। आवेदन पत्र का शुल्क - विभागीय कार्यालय में निरक।

आवश्यक शर्तें-
1 जनवरी 2006 के उपरांत मध्यप्रदेश में जन्मी बालिकाओं को लाभ दिया जायेगा। पात्रता कि शर्तें निम्नानुसार है 1. बालिकाके माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। 2. बालिका के जन्म के एक वर्ष के अंदर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। 3. आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन होना अनिवार्य है। 4. ऐसे माता-पिता जिनकी अधिकतम दो संतानें हो तथा योजना में पंजीयन हेतु आवेदन करने से पूर्व परिवार नियोजन अपना लिया हो। 5. बालिका के माता-पिता आयकरदाता न हो।

हितग्राही जिन्हें लाभ मिल सकता है

लिंग- Female
हितग्राही का प्रकार - Child
सामाजिक श्रेणी - General,SC,ST,Minority,OBC
निवास क्षेत्र - Rural,Urban
वैवाहिक स्थिति - Unmarried
हितग्राही नेचर - Child,Other
सामाजिक स्थिति - BPL,Others
हितग्राही वर्ग- State
आयु समूह- 0 - 1

Disclaimer : सेवा की पुष्टि एवं अधिक जानकारी के लिए कृपया सम्बंधित विभाग से संपर्क करे।

MIPonline Limited